



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

छेड़छाड़ करने के आरोपी इकबाल उर्फ काला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त इकबाल उर्फ काला पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2018 में वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 78/18 धारा 323/504/506/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इकबाल उर्फ काला को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 323/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

 @baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 18.11.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 831/23 धारा 429/120बी भादवि व 11ठ पशु क्रूरता अधिनियम का सफल अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर , एक अवैध चाकू , दो रोटी कैमिकल (जहर) लगी हुई, 250 ग्राम जहरीला कैमिकल, एक चोरी की हुई मोटरसाईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 16.11.2023 को वादी श्री इमरान पुत्र अख्तर अली निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रात्रि में उसकी भैंस को जहर दिया है, जिससे भैंस की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 831/23 धारा 429 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 831/23 धारा 429/120बी भादवि व 11ठ पशु क्रूरता अधिनियम का सफल अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध चाकू, दो रोटी कैमिकल (जहर) लगी हुई, 250 ग्राम जहरीला कैमिकल, एक चोरी की हुई मोटरसाईकिल बरामद हुई है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य एवं बरामदगी के आधार पर धारा 120बी/411 भादवि व 11ठ पशु क्रूरता अधिनियम व 3/4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-नौमान पुत्र इकराम निवासी ग्राम अब्दुलापुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।
- 2-साहिल पुत्र शानु निवासी ग्राम मौ0 आलकला कैराना थाना कैराना जनपद शामली।
- 3-मुकेश पुत्र गंगाराम निवासी पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-अंकित कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी इन्द्राकालौनी करबा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- एक अवैध चाकू ।
- एक चोरी की हुई मोसा बिना नम्बर (नं० DL-3SBY-7820 सम्बन्धित मु०अ०सं० 11849/15 पुलिस ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राईम ब्रान्च दिल्ली)
- दो रोटी कैमिकल लगी ।
- 250 ग्राम जहरीला कैमिकल ।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि अंकित का मृतक पशुओं को उठाने का ठेका है । अंकित ने गाँव-गाँव में अपना मोबाईल नम्बर खम्बे व दिवारों पर लिखवा रखा है । हम चारों लोग घुम-घुम कर पशुओं को रोटी में जहर दे देते हैं, जिससे पशु करीब 8-10 घन्टे बाद मर जाता है । पशुओं के मालिक अंकित को मोबाईल पर मृत पशुओं को उठाने कि सूचना दे देते हैं, जिससे हम सभी साथी पशुओं को ऊठाकर ले जाते हैं तथा उनको चमडा, हड्डी, सींग व मांस आदि फैक्ट्रियों में बेचकर रुपये कमाते हैं तथा रुपयों को आपस में बांट लेते है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व०उ०नि० महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत ।
- 2-उ०नि० महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत ।
- 3-है०का० 468 कुलदीप सिंह थाना बडौत ।
- 4-का० 402 विशाल पूनिया थाना बडौत ।
- 5-का० 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 18.11.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 475/23 धारा 379/506 भादवि से सम्बन्धित 02 चोरों (01 जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 बैट्रा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.11.2023 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री रमेश पुत्र श्री भगवानदास निवासी बड़ागांव रोड़ कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी कोल्हू से बिल्लू पुत्र गजे सिंह निवासी बड़ागांव फाटक के पास कस्बा व थाना खेकड़ा ने एक ट्रक का बैट्रा व छोटी साइकिल चोरी कर ली है तथा उसके भाई



अवधेश को जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 475/23 धारा 379/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 475/23 धारा 379/506 भादवि से सम्बन्धित 02 चोरों (एक जिला बदर/हिस्ट्रीशीटर) को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 बैट्रा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बिल्लू पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी वडागाँव रेलवे फाटक पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।(जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर) (एचएस नं0 1105ए)
- 2.विनेश उर्फ सिन्दू पुत्र महेश निवासी बडागांव फाटक पट्टी रामपुर करबा थाना खेकडा जनपद ।

गिरफ्तार अभियुक्त बिल्लू (एचएस नं0 1105ए) का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 461/21 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 462/21 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 463/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 464/21 धारा 414/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 388/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 445/23 धारा 3/10 गुण्डा एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 475/23 धारा 379/411/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 476/23 धारा 3/10 गुण्डा एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त विनेश उर्फ सिन्दू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 475/23 धारा 379/411/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 231/23 धारा 380/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 425/19 धारा 147/148/302/201/364/34 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक बैट्टा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा ।
- 2-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकडा ।
- 3-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18-11-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 886/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आस मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र अब्दुल सलीम निवासी माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 340/23 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 854/23 धारा 13 जी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 886/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 214 उमेश कुंमार ।

2-का0 369 विशाल कुमार ।

3-का0 819 सोनू कुमार ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18-11-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 884/23 धारा 379/323/506/34 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक: 16-11-2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी आरिफ पुत्र फारूख निवाली ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक: 15-11-2023 को जंगल ग्राम निवाडा में



अभियुक्तगण 1- तोसिफ पुत्र सुलेमान, 2-अब्बास पुत्र शेरदीन व 3-सादिक पुत्र रहीमूदीन निवासीगण ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी का मोबाइल वीवो वाई-16 चोरी कर लिया तथा वादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 884/23 धारा 379/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा

मु0अ0सं0 884/23 धारा 379/323/506 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन वीवो बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411/34 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-तोसिफ पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-अब्बास पुत्र शेरदीन निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-सादिक पुत्र रहीमूदीन निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन वीवो ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अली ।

2-है0का0 12 सतवीर कुमार ।

3-का0 981 अंकित कुमार ।

4-का0 171 सोहनपाल ।

5-का0 874 सतेन्द्र कुमार ।